



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062022-236734
CG-DL-E-22062022-236734

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443]
No. 443]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2022/ज्येष्ठ 31, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 2022/JYAISTHA 31, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2022

सा.का.नि. 464 (अ).—केन्द्रीय सरकार, नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) की धारा 26 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र के तुलनपत्र सहित लेखाओं के वार्षिक विवरण से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन के तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) अभिप्रेत है;

(ख) 'केन्द्र' से धारा 3 के अधीन स्थापित और निगमित नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र अभिप्रेत है;

(ग) 'प्ररूप' से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) 'निधि' से अधिनियम की धारा 25 के अधीन बनाए रखे जानी वाली केन्द्र की निधि अभिप्रेत है;

(ङ) 'अनुसूची' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(च) 'वर्ष' से 1 अप्रैल को आरंभ होने वाला और ठीक आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाला कोई वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वहीं अर्थ होगा, जो अधिनियम में उनका है।

3. लेखाओं और अभिलेखों का अनुरक्षण.— केन्द्र अपने लेखाओं का अनुरक्षण करेगा और अपने लेखाओं के वार्षिक विवरण, तुलनपत्र, प्राप्ति और संदाय खाता तथा वित्तीय विवरण के प्ररूप में आय और व्यय विवरण को प्ररूप 'क', 'ख' और 'ग' और इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 1 से 23 में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार तैयार करेगा।

4. केन्द्र द्वारा व्यय को उपगत करना.— केन्द्र, जब किसी व्यय को उपगत या अधिकृत करेगा तब साधारण वित्तीय नियम, 2017 के उपबंधों का पालन करेगा।

5. केन्द्र का लेखाओं के वित्तीय वार्षिक विवरण को तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना.—(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में केन्द्र अपने लेखाओं के वार्षिक विवरण, तुलनपत्र, प्राप्ति और संदाय खाता तथा आय और व्यय विवरण को प्ररूप 'क', 'ख' और 'ग' और इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 1 से 23 के अनुसार तैयार करेगा।

(2) अनुसूची 1 से 23 के साथ केन्द्र के लेखाओं के वार्षिक विवरण, तुलनपत्र, प्राप्ति और संदाय खाता तथा आय और व्यय विवरण इस प्रयोजन के लिए, केन्द्र का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या केन्द्र के अध्यक्ष के अनुमोदन से गठित संपरीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

(3) लेखा विवरण केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे और वित्तीय वर्ष के अंत में तीन महीनों के भीतर संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को अग्रेषित किए जाएंगे।

(4) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित केन्द्र के सम्यक् रूप से संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण और तुलनपत्र को उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ केन्द्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

प्ररूप – 'क'

वार्षिक विवरण

[नियम 5 के उपनियम (1) देखें]

नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र

तक तुलनपत्र

क्रम सं.	समग्र/पूँजी निधि और दायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष	(राशि रुपए में) पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	समग्र/पूँजी निधि	I		
2.	आरक्षितियां और अधिशेष	II		
3.	चिन्हीत और अक्षय निधि	III		
4.	प्रतिभूत ऋण और उधार	IV		
5.	अप्रतिभूत ऋण और उधार	V		
6.	आस्थगित प्रत्यय दायित्व	VI		
7.	वर्तमान दायित्व और उपबंध	VII		
8.	कुल			
9.	आस्तियां			
10.	नियत आस्तियां	VIII		
11.	विनिधान – चिन्हीत/अक्षय निधियों से	IX		
12.	विनिधान – अन्य	X		

13.	वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम	XI		
14.	विविध व्यय (जिस सीमा तक लिखा या समायोजित नहीं किया गया है)			
15.	कुल			
16.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XXII		
17.	अनिश्चित दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणियां	XXIII		

नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र

मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनडीआईएसी	अध्यक्ष संपरीक्षा समिति एनडीआईएसी	अध्यक्ष, एनडीआईएसी
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------

स्थान: नई दिल्ली

तारीख:

प्ररूप 'ख'

समाप्त हुए वर्ष/अवधि संबंधी आय और व्यय खाता

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रम सं. (1)	आय (2)	अनुसूची (3)	चालू वर्ष (4)	पूर्व वर्ष (5)
1.	अनुदान/सहायता राशि	XII		
2.	फीस/अंशदान	XIII		
3.	विनिधान से आय (निधियों में अंतरित किए गए चिन्हित/अक्षय निधियों में विनिधान से प्राप्त आय)	XIV		
4.	रायल्टी, प्रकाशन आदि से प्राप्त आय	XV		
5.	अर्जित ब्याज	XVI		
6.	अन्य आय	XVII		
7.	कुल (क)			
8.	व्यय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
9.	स्थापना व्यय	XVIII		
10.	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	XIX		
11.	अनुदान, सहायता राशि आदि संबंधी व्यय	XX		
12.	ब्याज	XXI		
13.	अवमूल्यन (अनुसूची VII से संबंधित वर्ष की समाप्ति के दौरान निवल कुल योग)	XXII		
14.	कुल (ख)			

15.	व्यय से अधिक की आय का शेष (क-ख) विशेष आरक्षिती में अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें) सामान्य आरक्षिती में/से अंतरण			
16.	समग्र/पूँजी निधि में अंतरित किए गए अधिशेष (कमी)			
17.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XXII		
18.	अनिश्चित देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	XXIII		

नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एनडीआईएसी	अध्यक्ष संपरीक्षा समिति एनडीआईएसी	अध्यक्ष, एनडीआईएसी
---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------

स्थान: नई दिल्ली

तारीख:

प्ररूप 'ग'

समाप्त हुए वर्ष/अवधि संबंधी प्राप्ति और संदाय खाता

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	प्राप्तियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	I. खाता खुलने के समय अतिशेष			1. व्यय		
2.	(क) नगदी			क) स्थापना व्यय		
3.	(ख) बैंक में अतिशेष			ख) प्रशासनिक व्यय		
4.	(i) चालू खाते में					
5.	(ii) जमा खातों में					
6.	(iii) बचत खाता					
7.	II. प्राप्त अनुदान					
8.	(क) भारत सरकार से			II. विभिन्न परियोजनाओं की निधि के लिए किया गया भुगतान (निधि या परियोजना का नाम, प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के व्यौरे सहित दर्शाया जाएगा)		
9.	(ख) अन्य स्रोतों से (व्यौरे) (पूँजी और राजस्व व्यय के अनुदान को पृथक् रूप से दर्शाया जाएगा)					
10.	III. विनिधान प्ररूप संबंधी आय			III. किए गए विनिधान और जमाएं		

11.	(क) चिन्हित/अक्षय निधियां			क) चिन्हित/अक्षय निधियों से		
12.	(ख) स्वामित्व प्राप्त निधियां (विनिधान-अन्य)			ख) स्वामित्व प्राप्त निधियां (विनिधान-अन्य) से		
13.	IV. प्राप्त व्याज			IV. नियत आस्तियों और प्रगतिशील पूंजी संबंधित व्यय		
14.	(i) बैंक जमा			क) नियत आस्तियों की खरीद		
15.	(ii) ऋण, अग्रिम आदि			ख) प्रगतिशील पूंजी संबंधी व्यय		
16.	V. अन्य आय (स्पष्ट करें)			V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी		
				क) भारत सरकार से		
17.	VI. उधार ली गई राशि			ख) निधियों के अन्य प्रदाताओं से		
18.	VII. अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)			VI. वित्तीय प्रभार (व्याज)		
				VII. अन्य संदाय (विनिर्दिष्ट करें)		
				VIII. अंतिम अतिशेष		
				क) नकदी		
				ख) बैंक शेष		
				(i) चालू खाते में		
				(ii) जमा खाते में		
				(iii) बचत खाता		
19.	कुल			कुल		

नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एनडीआईएसी	अध्यक्ष संपरीक्षा समिति एनडीआईएसी	अध्यक्ष, एनडीआईएसी
---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------

स्थान: नई दिल्ली

तारीख:

अनुसूची - I

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

कार्पस/पूंजी निधि

(रुपये में रकम)

क्रम सं.		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष		
2.	जोड़ें : निधि में किया गया अंशदान		
3.	जोड़ें /(घटाएं): आय और व्यय खाते से अतिरिक्त निवल आय/(व्यय का अतिशेष)		

4.	वर्ष के अंत में अतिशेष				
----	------------------------	--	--	--	--

अनुसूची – II

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

आरक्षितियां और अतिशेष

(रुपये में रकम)

क्रम सं.		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	1. वर्ष के दौरान जोड़े गए अंतिम खाते के अनुसार पूंजी आरक्षिती घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां				
2.	2. वर्ष के दौरान जोड़े गए अंतिम खाते के अनुसार पुनःमूल्यांकन आरक्षिती घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां				
3.	3. वर्ष के दौरान जोड़े गए अंतिम खाते के अनुसार विशेष आरक्षितियां घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां				
4.	4. वर्ष के दौरान जोड़े गए अंतिम खाते के अनुसार सामान्य आरक्षिती घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां				
5.	कुल				

अनुसूची – III

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

चिन्हित/अक्षय निधियां

क्रम सं.		निधिवार विवरण				कुल	
		निधि WW	निधि XX	निधि YY	निधि ZZ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	(क) निधियों का प्रारंभिक अतिशेष						
	(ख) : निधियों में अतिरिक्त राशि जोड़ना						
	(i) दान/अनुदान						
	(ii) निधियों के खाते में किए गए निवेशों से आय						
	(iii) अन्य अतिरिक्त राशियां (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)						
2.	कुल (क + ख)						
3.	(ग) निधियों के उद्देश्यों के प्रति किया गया उपयोग/व्यय						

	(i) पूंजी व्यय						
	स्थिर आस्तियां						
	- अन्य						
	कुल						
	(ii) राजस्व व्यय						
	वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि						
	- किराया						
	- अन्य प्रशासनिक व्यय						
	कुल						
4.	कुल (ग)						
5.	वर्ष के अंत में निवल अतिशेष (क + ख - ग)						

1. अनुदानों से संलग्न शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण सुसंगत शीर्षों के अधीन किए जाएंगे।
2. केंद्रीय सरकार से प्राप्त योजना निधियों को पृथक् निधि के रूप में दर्शाया जाना है और उसको किसी अन्य निधि के साथ मिलाया नहीं जाए।

अनुसूची – IV
[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]
प्रतिभूत ऋण और उधार

(रुपये में रकम)

क्रम सं.		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1. केंद्रीय सरकार		
2.	2. वित्तीय संस्था		
3.	(क) आवधिक ऋण		
4.	(ख) अर्जित ब्याज और देय		
5.	3. बैंक		
6.	(क) उद्भूत आवधिक ऋण ब्याज		
7.	(ख) देय आवधिक ऋण ब्याज		
8.	(ग) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें) – उद्भूत ब्याज		
9.	(घ) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें) – देय ब्याज		
10.	4. अन्य संस्था और अभिकरण		
11.	5. डिबैंचर और बांड		
12.	6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
13.	कुल		
	टिप्पण : एक वर्ष के भीतर देय रकम		

अनुसूची – V
[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]
अप्रतिभूत ऋण और उधार

(रुपये में रकम)

क्रम सं.		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	केंद्रीय सरकार				
2.	वित्तीय संस्था				
3.	बैंक				
	(क) आवधिक ऋण				
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)				
4.	अन्य संस्था और अभिकरण				
5.	डिबेंचर और बांड				
6.	सावधि जमा				
7.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
8.	कुल				
	टिप्पण : एक वर्ष के भीतर देय रकम				

अनुसूची – VI
[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]
आस्थगित ऋण दायित्व

(रुपये में रकम)

क्रम सं.		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पूँजी उपस्कर और अन्य आस्तियों के आडमान द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियां		
2.	अन्य		
3.	कुल		
	टिप्पण : एक वर्ष के भीतर देय रकम		

अनुसूची – VII
[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]
वर्तमान दायित्व और उपबंध

(रुपये में रकम)

क्रम सं.		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	क. वर्तमान दायित्व				
2.	स्वीकृतियां				
3.	विविध लेनदार:-				
	(क). माल के लिए				
	(ख). अन्य				
4.	प्राप्त अग्रिम				

5.	प्रोद्भूत ब्याज : किंतु जोको शोध्य न हो ।				
	(क) प्रतिभूत ऋण/उधार				
	(ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार				
6.	कानूनी दायित्व				
	(क) अतिदेय				
	(ख) अन्य				
7.	अन्य वर्तमान दायित्व				
8.	कुल (क)				
9.	ख. उपबंध				
10.	कराधान के लिए				
11.	उपदान				
12.	सेवानिवृत्ति/पेंशन				
13.	संचित अवकाश नकदीकरण				
14.	व्यापार वारंटी /दावा				
15.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
16.	कुल (ख)				
17.	कुल (क +ख)				

उपरोक्त में अवक्रय की आस्तियों के मूल्य को सम्मिलित किया गया है।

अनुसूची – VIII

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

स्थिर आस्तियां

(रुपये में रकम)

[illegible]

	(ग) स्वामित्व प्राप्त फ्लैट/परिसर										
	(घ) भूमि पर ऐसी अधिरचना जो इकाई की नहीं है।										
6.	संयंत्र मशीनरी और उपस्कर										
7.	यान										
8.	फर्नीचर और फिक्चर										
9.	कार्यालय उपस्कर										
10.	कंप्यूटर/पेरी फेरल										
11.	वैद्युत संस्थापन										
12.	पुस्तकालय की पुस्तकें										
13.	ट्यूबवैल और जलापूर्ति										
14.	अन्य स्थिर आस्तियां										
15.	वर्तमान वर्ष का कुल										
16.	पूर्व वर्ष का कुल										
17.	प्रगतिशील पूंजी										
18.	कुल										

टिप्पण : उपरोक्त में अवक्रय की आस्तियों के मूल्य को सम्मिलित किया गया है।

अनुसूची-IX

(नियम 5 का उपनियम (1) देखें)

चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेश

(रकम रूप में)

क्रम सं.		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सरकारी प्रतिभूतियों में		
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3.	शेयर		
4.	डिबेंचर और बांड		
5.	अनुषंगी और संयुक्त उद्यम		

6.	अन्य (स्पष्ट करें)		
7.	कुल		

अनुसूची-X
(नियम 5 का उपनियम (1) देखें)
निवेश-अन्य

(रकम रूप में)			
क्रम सं.		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सरकारी प्रतिभूतियों में		
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3.	शेयर		
4.	डिबेंचर और बांड		
5.	अनुषंगी और संयुक्त उद्यम		
6.	अन्य (स्पष्ट करें)		
7.	कुल		

अनुसूची-XI
(नियम 5 का उपनियम (1) देखें)
वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(रकम रूप में)					
क्रम सं.		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
(1)	(2)	(3)		(4)	
	वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि				
क.	वर्तमान आस्तियां				
1.	1. ऋण:				
	(क) छह मास से अधिक अवधि के लिए परादेय ऋण				
	(ख) अन्य				
2.	हस्तगत नकदी अतिशेष (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)				
3.	बैंक अतिशेष:				
	(क) अनुसूचित बैंक के साथ				
	(i) चालू खाते में				
	(ii) जमा खाते में				
	(iii) बचत खाते में				
	(ख) गैर अनुसूचित बैंक के साथ				
	(i) चालू खाते में				
	(ii) जमा खाते में				

	(iii) बचत खाते में				
4.	पोस्ट आफिस-बचत खाता				
5.	कुल (क)				
ख.	ऋण, अग्रिम और अन्य शास्तियां				
6.	निम्नलिखित को ऋण				
	(क) स्टाफ				
	(ख) अन्य इकाइयों को जो किसी इकाई के समान किसी कार्यकलाप/उद्देश्य के लिए कार्य करती हों।				
	(ग) अन्य (स्पष्ट करें)				
7.	नकद या वस्तु या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में अन्य वापसी योग्य राशि और अग्रिम				
	(क) पूंजी खाते पर				
	(ख) पूर्व भुगतान				
	(ग) अन्य				
8.	प्रोद्भूत आय				
	(क) चिन्हित/अक्षय निधियों से किए गए निवेश पर				
	(ख) निवेश-अन्य पर				
	(ग) ऋण और अग्रिमों पर				
9.	अन्य (नकद करने के लिए देय राशि अर्थात्रूपए सहित)				
10.	तालिकाएं (स्थायी, भंडार आदि)				
11.	प्राप्त दावा				
12.	कुल (ख)				
13.	कुल (क)+(ख)				

अनुसूची-XII

(नियम 5 का उपनियम (1) देखें)

अनुदान/परिदान

(प्राप्त अप्रतिसंहरणीय अनुदान और परिदान)

(रकम रूपए में)

क्रम सं.		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केन्द्रीय सरकार		
2.	सरकारी अभिकरण		
3.	संस्था/कल्याण निकाय		
4.	अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
5.	अन्य (स्पष्ट करें)		
6.	कुल		

अनुसूची-XIII

(नियम 5 का उपनियम (1) देखें)

शुल्क/अभिदाय

(रकम रूपए में)

क्रम सं.		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रवेश शुल्क		
2.	फाइलिंग शुल्क		
3.	सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क		
4.	परामर्श शुल्क		
5.	अन्य (स्पष्ट करें)		
6.	कुल		
टिप्पण प्रत्येक मद के लेखांकन नीतियों का स्पष्टीकरण किया जाना है।			

अनुसूची-XIV

(नियम 5 का उपनियम (1) देखें)

निवेश से आय

(चिन्हित/अक्षय निधियों से निधियों में अंतरित होने वाली निधियों में निवेश से आय)

क्रम सं.		चिन्हित निधियों से निवेश		निवेश अन्य	
		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ब्याज				
	क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
	ख) अन्य बांड/डिबेंचर				
2.	लाभांश				
	क) शेयरों पर				
	ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3.	किराया				
4.	अन्य (स्पष्ट करें)				
5.	कुल				

अनुसूची-XV

(नियम 5 का उपनियम (1) देखें)

रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(रकम रूपए में)

क्रम सं.		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायल्टी से आय		
2.	प्रकाशन से आय		

3.	अन्य (स्पष्ट करें)		
4.	कुल		

अनुसूची-XVI
(नियम 5 का उपनियम (1) देखें)
अर्जित ब्याज

		(रकम रूपए में)	
क्रम सं.		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आवधिक जमा कर		
	क) अनुसूचित बैंक के साथ		
	ख) गैर अनुसूचित बैंक के साथ		
	ग) संस्थानों के साथ		
	(घ) अन्य		
2.	बचत खातों पर		
	क) अनुसूचित बैंक के साथ		
	ख) गैर अनुसूचित बैंक के साथ		
	ग) पोस्ट आफिस बचत खाता		
	घ) अन्य		
3.	ऋण पर		
	क) कर्मचारी/कर्मचारिवृंद		
	ख) अन्य		
4.	ऋणियों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
5.	कुल		
टिप्पण: स्रोत पर काटा गया उपदर्शित करें।			

अनुसूची-XVII
(नियम 5 का उपनियम (1) देखें)
अन्य आय

		(रकम रूपए में)	
क्रम सं.		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आस्तियों के विक्रय/निपटान संबंधी पर लाभ		
	क) स्वामित्व प्राप्त आस्तियां		
	ख) अनुदान से प्राप्त आस्तियां या बिना लागत के प्राप्त आस्तियां		
2.	विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
3.	विविध आय		
4.	कुल		

अनुसूची-XVIII
(नियम 5 का उपनियम (1) देखें)
स्थापना आय

क्रम सं.		चालू वर्ष	(रकम रूपए में)
			पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
क)	वेतन और मजदूरी		
ख)	भत्ता और बोनस		
ग)	भविष्य निधि में अभिदाय		
घ)	अन्य निधि (स्पष्ट करें) में अभिदाय		
ङ.)	कर्मचारीवृंद कल्याण व्यय		
च)	कर्मचारी की सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी खर्चें		
छ)	अन्य (स्पष्ट करें)		
	कुल		

अनुसूची XIX
[नियम 5 का उप-नियम (1) देखें]
अन्य प्रशासनिक व्यय

क्र.सं.		चालू वर्ष	(रकम रूपए में)
			पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	(क) खरीद		
(ख)	(ख) श्रम और प्रसंस्करण व्यय		
(ग)	(ग) गाड़ी भाड़ा और वाहन अभियंत्र		
(घ)	(घ) विद्युत और शक्ति		
(ङ)	(ङ) जल शुल्क		
(च)	(च) बीमा		
(छ)	(छ) मरम्मत और रखरखाव		
(ज)	(ज) किराया, दरें और कर		
(झ)	(झ) चलने वाले वाहन, रखरखाव या किराया प्रभार		
(ञ)	(ञ) डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क		
(ट)	(ट) मुद्रण और स्टेशनरी		
(ठ)	(ठ) यात्रा और वाहन व्यय		
(ड)	(ड) संगोष्ठी/कार्यशालाओं पर व्यय		
(ढ)	(ढ) अंशदान व्यय		
(ण)	(ण) शुल्क का खर्च		
(त)	(त) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/विधिक शुल्क		
(थ)	(थ) आतिथ्य व्यय		
(द)	(द) व्यावसायिक शुल्क		
(ध)	(ध) खराब और संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए उपबंध		
(न)	(न) अपूरणीय शेष बट्टे खाते में डालना		
(प)	(प) पैकिंग शुल्क		

(फ)	(फ) माल दुलाई और अग्रेषण व्यय		
(ब)	(ब) वितरण व्यय		
(भ)	(भ) विज्ञापन और प्रचार		
(म)	(म) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)		
	कुल		

अनुसूची XX

[नियम 5 का उप-नियम (1) देखें]

अनुदान, छूट आदि पर व्यय

(रकम रुपए में)

क्र.सं.		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान		
(ख)	संस्थानों/संगठनों को दी जाने वाली छूट		
	कुल		

टिप्पण: इकाई का नाम, उनके क्रियाकलापों के साथ-साथ अनुदान/छूट की राशि को प्रकट किया जाना है।

अनुसूची XXI

[नियम 5 का उप-नियम (1) देखें]

ब्याज

(रकम रुपए में)

क्र.सं.		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
	(क) निश्चित ऋण पर		
	(ख) अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)		
	(ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	कुल		

अनुसूची – XXII

[नियम 5 का उप-नियम (1) देखें]

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (द्रष्टांत)

1. लेखांकन व्यवहार

लेखांकन व्यवहार ऐतिहासिक लागत व्यवहार, जब तक कि लेखांकन के संग्रहण रीति के संबंध में अन्यथा उल्लिखित न हो, के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं।

2. विनिधान

2.1 “दीर्घावधि विनिधान” के रूप में वर्गीकृत विनिधानों को लागत पर तैयार किया जाता है। ऐसे विनिधानों के वहन लागत में अस्थायी के अतिरिक्त अस्वीकार करने का उपबंध है।

2.2 “वर्तमान” के रूप में वर्गीकृत विनिधानों को कम लागत और उचित मूल्य पर तैयार किया जाता है। ऐसे विनिधानों के मूल्यों में कमी के उपाबंध को वैश्विक आधार पर तैयार न करके व्यक्तिक रूप से समझे गए प्रत्येक विनिधान के लिए तैयार किया जाता है।

2.3 लागत में अधिग्रहण व्यय जैसे दलाली, अंतरण स्टॉप सम्मिलित हैं।

3. स्थिर आस्तियां

3.1 स्थिर आस्तियों को अधिग्रहण लागत पर तैयार किया जाता है जिसमें अभ्यंतर माल भाड़ा, शुल्क और कर और अधिग्रहण संबंधी आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय भी सम्मिलित है। निर्माण, संबंधी परियोजनाओं के संबंध में संबंधित पूर्व प्रचालित व्यय (समाप्ति से पूर्व विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए ब्याज पर ऋण सहित) पूंजीगत आस्तियों के मूल्यों का भाग होता है।

3.2 गैर मौद्रिक अनुदानों (समग्र निधि में दिए जाने के अलावा) के माध्यम से प्राप्त स्थिर आस्तियों को पूंजी आरक्षण में ऋण देने के माध्यम से मूल्यों पर पूंजीकृत किया जाता है।

4. अवमूल्यन

4.1 अवमूल्यन, आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति, सिवाए स्थिर आस्तियों के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा देयता के परिवर्तन के कारण उठने वाले लागत समझौता संबंधी अवमूल्यन, जिसे संबंधित आस्तियों के अवशिष्ट समय में परिशोधित किया जाता है पर किया जाता है।

4.2 वर्ष के दौरान स्थिर आस्तियों में जोड़ने/घटाने के संबंध में, आनुपातिक आधार पर अवमूल्यन किया जाता है।

4.3 5,000 रुपए या उससे कम राशि वाली आस्तियों का संपूर्ण संरक्षण किया जाता है।

5. प्रकीर्ण

व्यय आस्थगित राजस्व व्यय को अर्जित करने के वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त कर दिया जाता है।

6. विक्रय संबंधी लेखांकन

विक्रय में सीमा शुल्क सम्मिलित है और विक्रय विवरणी, छूट और व्यापार छूट का निवल होता है।

7. सरकारी अनुदान/परिदान

7.1 किसी परियोजना को स्थापित करने के लिए पूंजी लागत में दिए गए अंशदान की प्रकृति वाले सरकारी अनुदानों को पूंजीआरक्षण के रूप में समझा जाता है।

7.2 अधिग्रहण किए गए विनिर्दिष्ट स्थिर आस्तियों संबंधी अनुदानों को संबंधित आस्तियों के लागत से घटाए जाने के रूप में दर्शाया जाता है।

7.3 सरकारी अनुदानों/परिदानों को वसूली के रूप में लेखांकित किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

8.1 विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख में दिए गए विनिमय दर पर लेखांकित किया जाता है।

8.2 वर्तमान आस्ति, विदेशी मुद्रा ऋण और वर्तमान देयताओं को वर्ष के अंत में दिए गए विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप यदि स्थिर आस्तियों और, अन्य मामलों में संबंधित विदेशी मुद्रा देयता को राजस्व के रूप में विचार किया जाता है तो लाभ/हानि को स्थिर आस्तियों के लागत में समायोजित किया जाता है।

9. पट्टा

पट्टा किराया को पट्टा अवधि के संदर्भ में व्यय किया जाता है।

10. सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ

10.1 कर्मचारी की मृत्यु सेवानिवृत्ति के समय देय उपदान संबंधी देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर जोड़ा जाता है।

10.2 कर्मचारी के संगृहीत छुट्टी नकदीकरण लाभ संबंधी उपबंध को यह मानकर जोड़ा और परिकलित किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर लाभ प्राप्त करने के हकदार है।

अनुसूची – XXIII

[नियम 5 का उप-नियम (1) देखें]

आकस्मिक देयताएं और लेखांकन पर टिप्पणी (दृष्टांत स्वरूप)

1. आकस्मिक दायित्व

1.1 इकाई के विरुद्ध दावों को - रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए) ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा

1.2 निम्नलिखित के संबंध में

- इकाई द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी- रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए)

- कंपनी की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र - रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए)

- बैंको के साथ बिल में छूट - रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए)

1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादस्पद मांगें

आयकर - रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए)

जीएसटी - रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए)

नगर निगम - रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए)

1.4 पक्षों से आदेशों के गैर-निष्पादन हेतु दावों, परंतु इकाई द्वारा समर्थन किए जाने के कारण किए गए दावों के संबंध में

- रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धता

संविदाओं का अनुमानित मूल्य जो पूंजीगत खातों पर कार्यान्वित किए जाने हैं और (अग्रिमों का निवल) नहीं दिए गए हैं

- रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए)

3. पट्टा बाध्यताएं

सयंत्र और मशीनरी के वित्तीय पट्टा व्यवस्था के अधीन दिए गए किरायों के संबंध में भविष्य की बाध्यताएं की राशि

- रुपए (पूर्व वर्ष - रुपए) है।

4. वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधकों की राय में, वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिमों का सामान्य व्यवसाय में वसूली मूल्य है, जो तुलनपत्र में दर्शाए गए योगफल राशि के समान है।

5. कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर योग्य आय न होने पर, आयकर का कोई उपबंध आवश्यक नहीं समझा जाता है।

6. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

6.1 सी.आई.एफ आधार पर गणना की गई आयातों का मूल्य

- तैयार मालों का क्रय

- कच्चा माल और संघटक (अभिवहन सहित)

- पूंजी माल
- भंडारण, अतिरिक्त और उपभोग्य वस्तुएं

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

- यात्रा
- विदेशी मुद्रा में वित्तीय संस्थानों/बैंकों में भुगतान किए गए नकद और ब्याज
- अन्य व्यय
- विक्रय पर कमीशन
- विधिक और व्यवसायिक व्यय
- प्रकीर्ण व्यय

6.3 उपार्जन

6.4 लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक: लेखापरीक्षक के रूप में:

- कराधान संबंधी मामले
- प्रबंध सेवाओं के लिए
- प्रमाणीकरण के लिए
- अन्य

7. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः एकत्रित/पुनः व्यवस्थित, जहां आवश्यक हो किया जाएगा।

8. अनुसूची 1 से अनुसूची 33 उपाबद्ध किए गए हैं और ये तक तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय और व्यय खाते का महत्वपूर्ण भाग है।

[फा. सं. ए-60011/97/2019-प्रशा. III (एलए) (भाग 1)]

सुनीता आनन्द, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2022

G.S.R. 464 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 30 read with sub-section (1) of section 26 of the New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019 (No. 17 of 2019) the Central Government hereby makes the following rules relating to the annual statement of accounts, including the balance sheet of the Centre, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the New Delhi International Arbitration Centre (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**— (1) In these rules unless the context otherwise requires,—
 - (a) ‘Act’ means the New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019;
 - (b) “Centre” means the New Delhi International Arbitration Centre established and incorporated under section 3;
 - (c) ‘Form’ means form annexed to these rules;
 - (d) ‘Fund’ means the Fund of the Centre to be maintained under section 25 of the Act;
 - (e) ‘Schedule’ means the Schedule annexed to these rules;
 - (f) ‘Year’ means a financial year beginning on 1st day of April and ending on 31st day of March of the immediately following year.

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Maintenance of accounts and records.-** The Centre shall maintain its accounts and prepare its annual statement of accounts, balance sheet, receipt and payment account and income and expenditure statement in the Forms of financial statements as specified in Forms 'A', 'B' and 'C' and Schedules 1 to XXIII annexed to these rules.

4. **Incurring of Expenditure by the Centre.-** The Centre shall follow the provisions of General Financial Rules, 2017 while incurring or authorising any expenditure.

5. **Preparation and submission of annual statement of accounts of the Centre.-**

(1) At the end of every financial year, the Centre shall prepare its annual statement of accounts, balance sheet, receipt and payment account and income and expenditure statement in Forms 'A', 'B' and 'C' and the Schedules I to XXIII annexed to these rules.

(2) The annual statement of accounts balance sheet, receipt and payment account and income and expenditure statement of the Centre along with the Schedules I to XXIII shall be authenticated by the Chief Executive Officer of the Centre or the Chairperson of an Audit Committee constituted with the approval of Chairperson of the Centre for this purpose.

(3) The Accounts statements shall then be approved by the Chairperson of the Centre and forwarded to the Comptroller and Auditor General of India, for the purposes of audit, within three months of the end of the financial year.

(4) The duly audited annual statement of accounts and balance sheet of the Centre as certified by the Comptroller and Auditor General of India along with the audit report thereon for every financial year shall be forwarded by the Centre to the Central Government for laying before both the Houses of Parliament.

Form –'A'

FINANCIAL STATEMENT

[see sub rule (1) of rule 5]

New Delhi International Arbitration Centre

Balance Sheet as at _____

(Amount in Rs.)

Sl. No.	CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Corpus/Capital Fund	I		
2.	Reserves and Surplus	II		
3.	Earmarked/Endowment Funds	III		
4.	Secured Loans and Borrowings	IV		
5.	Unsecured Loans and Borrowings	V		
6.	Deferred Credit Liabilities	VI		
7.	Current Liabilities and Provisions	VII		
8.	TOTAL			
9.	ASSETS			
10.	Fixed Assets	VIII		
11.	Investments - From Earmarked/Endowment Funds	IX		
12.	Investments - Others	X		
13.	Current Assets, Loans and Advances	XI		
14.	Miscellaneous Expenditure (to the extent not written of or adjusted)			
15.	TOTAL			
16.	Significant Accounting Policies	XXII		
17.	Contingent Liabilities and Notes on Accounts	XXIII		

New Delhi International Arbitration Centre

Chief Executive Officer,
NDIAC

Chairperson Audit
Committee , NDIAC

Chairperson, NDIAC

Place: New Delhi

Date:

Form 'B'**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED**

[see sub rule (1) of rule 5]

Sl. No.	INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Grants/Subsidies	XII		
2.	Fees/Subscriptions	XIII		
3.	Income from Investments (Income on investment, from earmarked/endowment funds transferred to funds)	XIV		
4.	Income from Royalty, Publications etc.	XV		
5.	Interest Earned	XVI		
6.	Other Income	XVII		
7.	Total (A)			
8.	EXPENDITURE	Schedule	Current Year	Previous Year
9.	Establishment Expenses	XVIII		
10.	Other Administrative Expenses etc.	XIX		
11.	Expenditure on Grants, subsidies etc.	XX		
12.	Interest	XXI		
13.	Depreciation (Net Total at the year end corresponding to Schedule VIII)	XXII		
14.	Total (B)			
15.	Balance being excess of Income over Expenditure (A-B) Transfer to Special Reserve (Specify each) Transfer to/from General Reserve			
16.	Balance Being Surplus (Deficit) Carried to Corpus/Capital Fund			
17.	Significant Accounting Policies	XXII		
18.	Contingent Liabilities and Notes on Accounts	XXIII		

New Delhi International Arbitration Centre

Chief Executive Officer,
NDIACChairperson Audit
Committee, NDIAC

Chairperson, NDIAC

Place: New Delhi

Date:

Form 'C'**RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED**

[see sub rule (1) of rule 5]

(Amount in Rs.)

Sl. No.	RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	I. Opening Balances			I. Expenses		

2.	(a) Cash in Hand			a) Establishment expenses		
3.	(b) Bank Balance			b) Administrative Expenses		
4.	(i) In current Accounts					
5.	(ii) In Deposit Accounts					
6.	(iii) Saving Accounts					
7.	II. Grants Received			II. Payment made against funds for various Projects (Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payment made for each project)		
8.	(a) From Government of India					
9.	(b) From Other Sources (Details) (Grants for Capital and Revenue Expenditure to be shown separately)					
10.	III. Income on Investment from			III. Investments and Deposits Made		
11.	(a) Earmarked / Endowment funds			a) Out of Earmarked /Endowment funds		
12.	(b) Own funds (Investment - others)			b) Out of own funds (Investment - others)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	IV. Interest Received			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
14.	(i) On Bank Deposits			a) Purchase of fixed Assets		
15.	(ii) Loans, advances etc.			b) Expenditure on Capital Work-in-progress		
16.	V. Other Income (Specify)			V. Refund of surplus money/loans		
				a) To the Government of India		
				b) To other providers of funds		
17.	VI. Amount Borrowed			VI. Finance Charges (Interest)		
18.	VII. Any other			VII. Other		

	receipts (give details)			Payments (Specify)		
				VIII. Closing Balances		
				a) Cash in Hand		
				b) Bank Balances		
				(i) In current Accounts		
				(ii) In Deposit Accounts		
				(iii) Savings Accounts		
19.	TOTAL			TOTAL		

New Delhi International Arbitration Centre

Chief Executive Officer,
NDIACChairperson Audit
Committee , NDIAC

Chairperson, NDIAC

Place: New Delhi

Date:

SCHEDULE - I

[see sub rule (1) of rule 5]

CORPUS/CAPITAL FUND

(Amount in Rs.)

Sl. No.		Current Year		Previous Year	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Balance as at the beginning of the year				
2.	Add: Contributions towards fund				
3.	Add/(Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account				
4.	BALANCE AS AT THE YEAR –END				

SCHEDULE – II

[see sub rule (1) of rule 5]

RESERVES AND SURPLUS

(Amount in Rs.)

Sl. No.		Current Year		Previous Year	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	1.Capital Reserve As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year				

2.	2.Revaluation Reserve As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year				
3.	3.Special Reserves As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year				
4.	4.General Reserve As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year				
5.	TOTAL				

SCHEDULE – III

[see sub rule (1) of rule 5]

EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

Sl. No.		Fund Wise Break up				Totals	
		Fund WW	Fund XX	Fund YY	Fund ZZ	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	(a) Opening balance of the funds						
	(b) Additions to the Funds:						
	(i) Donations/grants						
	(ii) Income from investments made on account of funds						
	(iii) Other additions (specify nature)						
2.	Total (a + b)						
3.	(c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds						
	(i) Capital Expenditure						
	- Fixed Assets						
	- Others						
	Total						
	(ii) Revenue Expenditure						
	- Salaries, Wages and allowances etc.						
	- Rent						
	- Other Administrative Expenses						
	Total						
4.	Total (c)						
5.	NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a + b - c)						

1. Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.

2. Plan Funds received from the Central Government are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other funds.

SCHEDULE – IV

[see sub-rule (1) of rule 5]

SECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount in Rs.)

Sl. No.		Current Year		Previous Year	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	1. Central Government				
2.	2. Financial Institutions				
3.	(a) Terms Loans				
4.	(b) Interest accrued and due				
5.	3. Banks				
6.	(a) Term Loans Interest accrued				
7.	(b) Term Loans Interest due				
8.	(c) Other Loans (specify) – Interest accrued				
9.	(d) Other Loans (specify) – Interest due				
10.	4. Other Institutions and Agencies				
11.	5. Debentures and bonds				
12.	6. Others (Specify)				
13.	TOTAL				
	Note: Amounts due within one year				

SCHEDULE – V

[see sub-rule (1) of rule 5]

UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount in Rs.)

Sl. No.		Current Year		Previous Year	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Central Government				
2.	Financial Institutions				
3.	Banks				
	(a) Term Loans				
	(b) Other Loans (specify)				
4.	Other Institutions and Agencies				
5.	Debentures and bonds				
6.	Fixed Deposits				
7.	Others (Specify)				
8.	TOTAL				
	Note: Amounts due within one year				

SCHEDULE – VI

[see sub-rule (1) of rule 5]

DEFERRED CREDIT LIABILITIES

(Amount in Rs.)

Sl. No.		Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets		
2.	Others		
3.	TOTAL		
	Note: Amounts due within one year		

[illegible]

6.	Plant Machinery & Equipment										
7.	Vehicles										
8.	Furniture & Fixture										
9.	Office Equipment										
10.	Computers/ Peripherals										
11.	Electrical Installations										
12.	Library Books										
13.	Tube wells & Water Supply										
14.	Other Fixed Assets										
15.	Total of Current year										
16.	Total of previous year										
17.	B. Capital work in progress										
18.	TOTAL										

Note: To be given as to cost of assets on hire purchase basis included above

SCHEDULE – IX

[See sub-rule (1) of rule 5]

INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount in Rs.)

Sl. No.		Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	In Government Securities		
2.	Other approved Securities		
3.	Shares		
4.	Debentures and Bonds		
5.	Subsidiaries and Joint Ventures		
6.	Others (to be specified)		
7.	TOTAL		

SCHEDULE – X

[See sub-rule (1) of rule 5]

INVESTMENTS – OTHERS

(Amount in Rs.)

Sl. No.		Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	In Government Securities		

2.	Other approved Securities		
3.	Shares		
4.	Debentures and Bonds		
5.	Subsidiaries and Joint Ventures		
6.	Others (to be specified)		
7.	TOTAL		

SCHEDULE – XI

[See sub-rule (1) of rule 5]

CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.

(Amount in Rs.)

Sl. No.		Current Year		Previous Year	
(1)	(2)	(3)		(4)	
	CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.				
A	Current Assets:				
1	Debts:				
	(a) Debts Outstanding for a period exceeding six months				
	(b) Others				
2.	Cash balances in hand (including cheques/ drafts and imprest)				
3.	Bank Balances:				
	(a) With Scheduled Banks:				
	(i) In current accounts				
	(ii) In deposit accounts				
	(iii) In savings accounts				
	(b) With Non-Scheduled Banks:				
	(i) In current accounts				
	(ii) In deposit accounts				
	(iii) In savings accounts				
4.	Post Office - Savings Accounts				
5.	TOTAL (A)				
B	LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
6.	Loans to:				
	(a) Staff				
	(b) Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the entity				
	(c) Other (specify)				
7.	Advances and other amount recoverable in cash or in kind or for value to be received:				
	(a) On capital account				
	(b) Prepayments				
	(c) Others				
8.	Income Accrued				
	(a) On investments from Earmarked/ Endowment fund				
	(b) On investment - others				
	(c) On loans and advances				
9.	Others (includes income due unrealized Rs.)				
10.	Inventories (may include Stationery, Stores etc.)				
11.	Claims Receivable				
12.	TOTAL (B)				
13.	TOTAL (A+ B)				

SCHEDULE – XII

[See sub-rule (1) of rule 5]

GRANTS/SUBSIDIES

(Irrevocable Grants & Subsidies Received)

(Amount in Rs.)

Sl. No.		Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Central Government		
2.	Government Agencies		
3.	Institutions/ Welfare Bodies		
4.	International Organisations		
5.	Others (Specify)		
6.	TOTAL		

SCHEDULE – XIII

(See sub-rule(1) of rule 5)

FEES / SUBSCRIPTIONS

(Amount in Rs.)

Sl. No.		Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Entrance Fees		
2.	Filing Fees		
3.	Seminar/ Program Fees		
4.	Consultancy Fees		
5.	Others (Specify)		
6.	TOTAL		
Note - Accounting Policies towards each item are to be disclosed			

SCHEDULE – XIV

[See sub-rule (1) of rule 5]

INCOME FROM INVESTMENTS

(Income on Invest. From Earmarked/ Endowment Funds transferred to Funds)

(Amount in Rs.)

Sl. No.		Investment from Earmarked Fund		Investment - Others	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Interest				
	a) On Government Securities				
	b) Other Bonds/ Debentures				
2.	2. Dividends				
	a) On Shares				
	b) On Mutual Fund Securities				
3.	Rents				
4.	Others (Specify)				
5.	TOTAL				

SCHEDULE XV

[See sub-rule (1) of rule 5]

INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

(Amount in Rs.)

Sl. No.		Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Income from Royalty		
2.	Income from Publications		
3.	Others (Specify)		
4.	TOTAL		

SCHEDULE XVI

[See sub-rule (1) of rule 5]

INTEREST EARNED

(Amount in Rs.)

Sl. No.		Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	On Term Deposits		
	(a) With Scheduled Banks		
	(b) With Non - Scheduled Banks		
	(c) With Institutions		
	(d) Others		
2.	On Savings Accounts		
	(a) With Scheduled Banks		
	(b) With Non - Scheduled Banks		
	(c) Post Office Savings Accounts		
	(d) Others		
3.	On Loans		
	(a) Employees/Staff		
	(b) Others		
4.	Interest on Debtors and Other Receivables		
5.	TOTAL		
	Note - Tax deducted at source to be indicated		

SCHEDULE – XVII

[See sub-rule (1) of rule 5]

OTHER INCOME

(Amount in Rs.)

Sl. No.		Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Profit on Sale/disposal of Assets		
	(a) Owned Assets		
	(b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2.	Fees for Miscellaneous Services		
3.	Miscellaneous Income		
4.	TOTAL		

SCHEDULE XVIII

[See sub-rule (1) of rule 5]

ESTABLISHMENT EXPENSES

(Amount in Rs.)

Sl. No.		Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
a)	Salaries and Wages		
b)	Allowances and Bonus		
c)	Contribution to Provident Fund		
d)	Contribution to Other Fund (specify)		
e)	Staff Welfare Expenses		
f)	Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits		
g)	Others (Specify)		
	TOTAL		

SCHEDULE XIX

[See sub-rule (1) of rule 5]

OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

(Amount in Rs.)

Sl. No.		Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
(a)	(a) Purchases		
(b)	(b) Labour and processing expenses		
(c)	(c) Cartage and Carriage Inwards		
(d)	(d) Electricity and power		
(e)	(e) Water charges		
(f)	(f) Insurance		
(g)	(g) Repairs and Maintenance		
(h)	(h) Rent, Rates and Taxes		
(i)	(i) Vehicles Running, Maintenance or Hiring charges		
(j)	(j) Postage, Telephone and Communication charges		
(k)	(k) Printing and Stationery		
(l)	(l) Travelling and Conveyance Expenses		
(m)	(m) Expenses on Seminar/ Workshops		
(n)	(n) Subscription Expenses		
(o)	(o) Expenses of fee		
(p)	(p) Auditors Remuneration/ Legal fee		
(q)	(q) Hospitality Expenses		
(r)	(r) Professional Charges		
(s)	(s) Provision for Bad and Doubtful Debts/ Advances		
(t)	(t) Irrecoverable Balances written -off		
(u)	(u) Packing Charges		
(v)	(v) Freight and Forwarding Expenses		
(w)	(w) Distribution Expenses		
(x)	(x) Advertisement and Publicity		
(y)	(y) Others (to be specified)		
	TOTAL		

SCHEDULE XX

[See sub-rule (1) of rule 5]

EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.

(Amount in Rs.)

Sl. No.		Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
(a)	Grants given to Institutions/ Organisations		
(b)	Subsidies given to Institutions/ Organisations		
	TOTAL		

Note: Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/ subsidies are to be disclosed.

SCHEDULE XXI

[See sub-rule (1) of rule 5]

INTEREST

(Amount in Rs.)

Sl. No.		Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
	(a) On Fixed Loans		
	(b) On Other Loans (including Bank Charges)		
	(c) Others (specify)		
	TOTAL		

SCHEDULE – XXII

[See sub-rule (1) of rule 5]

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Illustrative)**1. ACCOUNTING CONVENTION**

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. INVESTMENTS

2.1 Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.

2.2 Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.

2.3 Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

3. FIXED ASSETS

3.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized.

3.2 Fixed Assets received by way of non-monetary grants, (other than towards the Corpus Fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to Capital Reserve.

4. DEPRECIATION

4.1 Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Income-tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.

4.2 In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.

4.3 Assets consisting Rs. 5,000 or less each are fully provided.

5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

6. ACCOUNTING FOR SALES

Sales include excise duty and are net of sales returns, rebate and trade discount.

7. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

7.1 Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.

7.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.

7.3 Government grants/subsidy are accounted on realization basis.

8. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

8.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

8.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability related to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

9. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

10. RETIREMENT BENEFITS

10.1 Liability towards gratuity payable on death/retirement of employees is accrued based on actuarial valuation.

10.2 Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

SCHEDULE – XXIII

[See sub-rule (1) of rule 5]

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (Illustrative)

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts - Rs. _____ (Previous year Rs. _____)

1.2 In respect of:

- Bank guarantees given by/on behalf of the Entity -Rs. _____ (Previous year Rs. _____).
- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity -Rs. _____ (Previous year Rs. _____).
- Bills discounted with banks Rs. _____ (Previous year Rs. _____).

1.3 Disputed demands in respect of:

Income-tax Rs. _____ (Previous Year Rs. _____)

G.S.T. Rs. _____ (Previous Year Rs. _____)

Municipal Taxes Rs. _____ (Previous Year Rs. _____)

1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity - Rs. _____ (Previous year Rs. _____).

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs.

(Previous year Rs. _____).

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs. _____ (Previous year Rs. _____).

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

In view of there being no taxable income under Income-tax Act 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS**6.1 Value of Imports calculated on C.I.F Basis:**

- Purchase of finished Goods
- Raw Materials & Components (Including in transit)
- Capital Goods
- Stores, Spares and Consumables

6.2 Expenditure in foreign currency:

- Travel
- Remittances and Interest payment to Financial Institutions/ Banks in Foreign Currency
- Other Expenditure:
 - Commission on Sales
 - Legal and Professional Expenses
 - Miscellaneous Expenses

6.3 Earnings:**6.4 Remuneration to auditors: As auditors:**

- Taxation matters
- For management services
- For certification
- Others

7. Corresponding figures for the previous year have to be regrouped/ rearranged, wherever necessary.

8. Schedules I to XXXIII are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at _____ and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

[F.No. A-60011/97/2019-Admn.III(LA)(Pt.1)]
SUNITA ANAND, Jt. Secy. & Legal Adviser